न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश, कक्ष सं0–5, मुरादाबाद।

दीवानी अपील सं0 – 76/2022

सुभाष भट्ट बनाम भारत संघ।

दिनांक– 24.08.2023

पत्रावली पेश हुई। पुकार कराई गई। उभय पक्ष अनुपस्थित है।

बार बार पुकार कराये जाने पर न तो उभय पक्ष उपस्थित हैं और न ही उनके विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हैं और न ही पक्षकारों की ओर से कोई स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। पक्षकारों को बार–बार पुकारा गया, लेकिन पक्षकारों की ओर से कोई उपस्थित नहीं है। न्यायहित में पत्रावली लंच बाद पेश हो।

दिनॉकः 24.08.2023

(ज्ञानेन्द्र सिंह यादव)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
कक्ष सं0 5, मुरादाबाद।

समय अपराह्न 03:30

पत्रावली लंच बाद समय 03:30 पी0एम0 पर पुनः पेश हुई। पुनः पुकार कराई गई। उभयपक्ष अनुपस्थित है और उनकी ओर से कोई स्थगन प्रार्थना पत्र नहीं दिया गया है। आदेश पत्रिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि पूर्व में नियत कई तिथियों से उभय पक्ष निरंतर अनुपस्थित चले आ रहे हैं। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि पक्षकारों को वाद में रूचि नहीं है। ऐसी स्थिति में, वाद को लंबित रखने का कोई औचित्य नहीं है। अतः उभय पक्षों की अनुपस्थिति में प्रस्तुत दीवानी वाद निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रस्तुत दीवानी अपील उभय पक्षों की अनुपस्थिति में खारिज किया जाता है।

दिनॉकः 24.08.2023

(ज्ञानेन्द्र सिंह यादव)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
कक्ष सं0 5, मुरादाबाद।